न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1844–एक/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 28–02–13 पारित अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 17/2011–12 निगरानी.

जबरसिंह पुत्र ताम्रध्वज सिंह
समस्त निवासी ग्राम कुपावली, पर0 मेहगॉव,
जिला भिण्ड, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– रणजीतसिंह पुत्र बहादुरसिंह
2– जगजीतसिंह पुत्र बहादुरसिंह
3– उमासिंह पुत्र बहादुरसिंह
समस्त निवासी ग्राम कुपावली, पर0 मेहगॉव,
जिला भिण्ड, म0प्र0
4– म0प्र0 शासन ––– अनावेदकगण

श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक – आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – अनावेदक क0 1 से 3
सुश्री रजनी वशिष्ठ, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–4

आदेश

(आज दिनांक 18 मार्च, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 17/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–02–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कलेक्टर जिला भिण्ड ने नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 3/96–97/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 23–04–1997 में अवैधानिक तरीके से मूल भूमिस्वामी खातेदारों की भूमि अनावेदकगण

के नाम अन्तरण की जाकर शासन को स्टाम्प शुल्क की क्षति पहुचाने के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर जिला भिण्ड ने अपने आदेश दिनांक 27–01–2011 में यह निष्कर्ष निकाला कि अनावेदकगण रणजीतसिंह आदि के नाम की प्रविष्टि खसरा के किसी भी कॉलम में होना नहीं पाया जाता। संहिता की धारा 168 के अन्तर्गत भूमिस्वामी व्दारा कोई करार/पट्टा अनावेदकगण रणजीतसिंह आदि के हक में निष्पादित किया जाना नहीं पाया गया, इस कारण अनावेदकगण रणजीतसिंह आदि को मौरूशी कृषक के अधिकार अर्जित नहीं होने से संहिता की धारा 190 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। वादग्रस्त भूमि का अन्तरण पंजीयत विलेख के मध्यम से किया गया होता तो निसंदेह राज्य शासन को स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पड़ा है। अतः कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23–04–1997 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि आलोच्य आदेश पारित होने के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूध्द अनावेदकों व्दारा प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 28–02–2013 व्दारा स्वीकार की गयी है। अतः आवेदक जबरसिंह व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों एवं दीवानी न्यायालयों के निर्णय के आधार पर निगरानी स्वीकार की गयी है। नायब तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि पर अपने आदेश दिनांक 23–04–97 व्दारा अनावेदकगण को संहिता की धारा 190/110 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान कर नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त व्दारा निरस्त करने पर राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 21–02–2002 व्दारा खारिज की गयी है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मेहगांव जिला भिण्ड ने व्यवहार वाद कमांक 730ए/98 में पारित निर्णय दिनांक 25–6–2005 में अनावेदकगण रणजीतसिंह आदि को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होना मान्य किया है

और हरिओम व्दारा निष्पादित विक्रयपत्र को शून्य घोषित किया है। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 20–9–2010 व्दारा खारिज की गयी है। तहसील न्यायालय का संहिता की धारा 190/110 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23–04–97 प्राइवेट पक्षकार के मध्य होकर संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील योग्य है और इस आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी भी प्रस्तुत की गयी है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल के आदेश के पश्चात कलेक्टर व्दारा आवेदक जबरसिंह के शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करना विधिसंगत नहीं है। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों से अनावेदकगण रणजीतसिंह आदि के पक्ष में निर्णय होने के आधार पर अपर आयुक्त व्दारा निगरानी स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यदि आवेदक जबरसिंह को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय से स्वत्व घोषित कराना चाहिये।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 28–02–2013 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,